न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 117 / 2023 GCMS No.—2020/00016

1. विष्णु पुत्र नवल जाति मीणा नाबालिग सरंक्षक माता कमला देवी पत्नी नवल निवासी ग्राम साईवाड, हाल निवासी ग्राम खटवाडा, वाया महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. कमला देवी पत्नी नवल निवासी ग्राम साईवाड, हाल निवासी ग्राम खटवाडा, वाया महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. कमला पुत्री महादेव पत्नी रामजीलाल निवासी मकान नंबर 57, गांधी नगर, राधाकिशन मन्दिर के पास, रतलाम (म.प्र.)।
2. जुगल पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी मु.पो.डाबला बुजुर्ग वाया रेनवाल तहसील फागी जिला जयपुर।
3. नारंगी पुत्री लक्ष्मीनारायण निवासी मु.पो. डाबला बुजुर्ग वाया रेनवाला तहसील फागी जिला जयपुर।
4. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी मु.पो. डाबला बुजुर्ग वाया रेनवाला तहसील फागी जिला जयपुर।
5. मुन्नी पत्नी रामनिवास पुत्री लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम फतेहपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
6. मुन्नी देवी उर्फ नैना पत्नी उमराव पुत्री महादेव जाति मीणा निवासी बी–274, मानसरोवर सिंधी कॉलोनी के पास, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।
7. मोती पुत्री लक्ष्मीनारायण निवासी गोपालपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
8. रघुवीर सिंह पुत्र महादेव निवासी मकान नंबर 86, बस्सी सीतारामपुरा, नेहरू नगर, जयपुर।
9. लालाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी मु.पो. डाबला बुजुर्ग वाया रेनवाल तहसील फागी जिला जयपुर।
10. सुरेश कुमार पुत्र जगन्नाथ (माता मनभर)
11. रामलाल पुत्र जगन्नाथ (माता मनभर)
12. प्रदीप पुत्र जगन्नाथ (माता मनभर)
13. गुड्डी देवी पुत्री जगन्नाथ (माता मनभर)
14. सीता उर्फ केसर देवी पुत्री जगन्नाथ (माता मनभर)
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 14.03.2018 श्रीमान तहसीलदार महोदय जमवारामगढ द्वारा पारित किया गया जिसके तहत नामान्तकरण संख्या 210 दिनांक 14.03.2018 स्वीकृत किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 17.03.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 14.03.2018 जिससे नामान्तरकरण संख्या 210 वाके ग्राम साईवाड, तहसील जमवारामगढ तस्दीक किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.02.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट्स जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पा0 संख्या 6

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल शर्मा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 15 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 एवं रेस्पा0 संख्या 7 लगायत 14 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन भूमि के खातेदार काश्तकार स्व. महादेव पुत्र भूरा जाति मीणा की मृत्यु हो जाने के पश्चात तहसीलदार जमवारामगढ ने महादेव के हक व हिस्से की आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण अपीलांट को नोटिस दिये बिना ही रेस्पाडेन्ट हक में दिनांक 14.03.2018 को तस्दीक कर दिया। अपीलांट व रेस्पा0 अनूसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है एवं अनूसुचित जनजाति सदस्यों में एवं परिवार में पुरूष वर्ग है तो महिला वर्ग को कोई कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (उपधारा 2) के तहत मीणा जनजाति के व्यक्तियों पर उक्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इसलिए स्व. महादेव के देहांत के बाद उनके विरासत में छोडी गई सम्पत्ति के कानूनी वारिसान अपीलांट का हिस्सा 1/2 के बजाय 1/6 होने के आधार पर रेस्पा0 ने अपने नाम तस्दीक करवा लिया। मीणा जाति एवं अपीलांट के परिक्षेत्र में प्रचलित रूढी प्रथाओं व रीति रिवाज के अनुसार पुत्रीयों को पिता की सम्पत्ति में मालिकाना हक विरासत में प्राप्त नहीं होता है ऐसे में स्पष्ट था कि रेस्पा0 संख्या 1, 6 व मृत पुत्री मनभर देवी व कौशल्या देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण का अपीलाधीन भूमि में किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं थे। अपीलांट के पूर्वज की मृत्यु सन् 2010 में हो चुकी थी ऐसे में पिछले 10 वर्षो से अब तक दर्ज नहीं हुई थी। ऐसे में तहसीलदार को मृतक महादेव के सभी वारिसान को सूचित कर सुनवाई व साक्ष्य का मौका देने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किये बिना ही आलौच्य आदेश दिनांक 14.03.2018 पारित कर दिया जो सरसरी तौर पर ही अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी जनरल प्रिंसिपल का अवलोकन किये बिना आलौच्य आदेश दिनांक 14.03.2018 पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 23.01.2020 को रेस्पा0 ने अपीलांट के कब्जे की भूमि पर आकर महादेव के हक अधिकार की भूमि में अपीलांट का हिस्सा 1/2 के बजाय 1/6 होने का कथन किया जिसके पश्चात अपीलांट ने तहसील से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर अपीलाधीन नामान्तकरण

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

संख्या 210 व नामान्तकरण संख्या 224 की जानकारी हुयी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2018 द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 210 वाके ग्राम साईवाड, तहसील जमवारामगढ को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें। विद्धान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **1966 RRD page 71, 2014(2) RRT page 901, RRT 2023(1) kamla neti vs Speciao L.A.o** आदि पेश किये।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तकरण स्व. लादूराम की विरासत के आधार पर उसके जायन्दा वारिसान के हक में तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अभिभाषक अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामान्तरकरण संख्या 210 वाके ग्राम साईवाड, तहसील जमवारामगढ द्वारा निर्णित दिनांक 14.03.2018 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार काश्तकार महादेव पुत्र भूरा का विरासत का नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र, कुर्सीनामा, शपथ पत्र के आधार पर भरा गया। जिसे तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा आदेश दिनांक 14.03.2018 द्वारा तस्दीक किया गया। विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति (मीणा) के सदस्य है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में पुरूष वर्ग है तो महिला वर्ग को कोई भी कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. महादेव के फौत होने पर उसकी खातेदारी भूमि का नामान्तकरण उसकी जायन्दा पुत्र, पुत्रियों के हक में तस्दीक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व संशोधन अधिनियम 2005 तथा विद्धान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो का अवलोकन किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 2 (उपधारा 2) के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थो के अन्दर आने वाली किसी अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यो को तब तक लागू नहीं होगी तक कि केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न करें। इसी संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6091/2022 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2022 अनुसार **Daughters belonging to Schudeuled Tribe cannot claim any right in the property of father and therefore we hope and trust that the Central Government will look into the matter and take an appropriate decision taking into consideration the right to equality guaranteed under articles 14 and 21 of**

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

the constitution of India. अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा स्व. महादेव की पुत्रियों के नाम विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया है जबकि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति से होने के कारण पुत्रियों को वर्तमान में पिता की सम्पत्ति में उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत अनुसार हक अधिकार नहीं होना प्रतीत होता है। अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा विरासत के आधार पर भरे गये नामान्तकरण में खातेदार काश्तकारों के अनुसचित जनजाति से संबंधित होने के तथ्य पर गौर किये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया जो नियमानुसार उचित नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ का आदेश दिनांक 14.03.2018 बाबत नामान्तरकरण संख्या 210 वाके ग्राम साईवाड, तहसील जमवारामगढ निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ **(Remand)** प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, उपरोक्त तथ्यो की रोशनी में गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर